

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लोक अदालत कैम्प कोर्ट कबराड़िया तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी:-श्री सी.एल.शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-201/2014 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 187-बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1-श्री नानूराम गोदपुत्र कूका ब्राह्मण, उम्र बालिग निवासी कबराड़िया तहसील मांडल
जिला भीलवाड़ा

2-श्रीमति सरजू बेवा कूका ब्राह्मण, उम्र बालिग निवासी कबराड़िया तहसील मांडल
जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

---वादीगण

बनाम

श्री मांगीलाल पिता बालू ब्राह्मण, उम्र बालिग निवासी कबराड़िया तहसील मांडल जिला
भीलवाड़ा (राजस्थान)

---प्रतिवादी

वादीगण की ओर से श्री श्यामलाल वैद एडवोकेट और प्रतिवादी
की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 12.
7.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया
जाता है कि और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों
प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष
की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

न्याय हित में आपसी राजीनामा के अनुसार वादीगण का वाद पत्र
स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी के इस आशय की जारी
की जाती है कि ग्राम कबराड़िया पटवार हल्का कबराड़िया तहसील मांडल जिला
भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1333,
1334, 1335, 1358, 1359 एवं 1626 कुल किता 12 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा भूमि
वादीगण एवं आराजी नम्बर 1323, 1324, 1326, 1361, 1363, 1364, 1365, 1367,
1648 व 2154/1649 कुल किता 10 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि की नपती
(सीमाकंन) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। सीमाकंन के दौरान अगर किसी के
खाते में भूमि ज्यादा होगी वह ज्यादा भूमि को छोड़कर दूसरे पक्ष (यानि वादीगण एवं
प्रतिवादी एक दूसरे) को देगे। बिलानाम रास्ते से आराजी नं0 1327 तक रास्ता 10
फीट (दस फीट) छोड़ा जायेगा। उक्त रास्ते में जितनी भूमि आयेगी वह दोनों पक्षों को

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

बराबर-बराबर छोड़ी जायेगी। रास्ते को दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष बंद नहीं करेगा/ या कर सकेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।



(सी.एल.शर्मा)

आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी

मांडल जिला भोलवाड़ा

मांडल जिला भोलवाड़ा

आज दिनांक 12.7.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी

की गयी



उपखण्ड अधिकारी

मांडल जिला भोलवाड़ा